

पटना समाहरणालय, पटना ।
जिला नजारत शाखा

फोन नं. 0612-2219545(क.)
फैक्स नं.-0612-2213900
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@gmail.in

ज्ञापक-/नजा., पटना, दिनांक.....
प्रेषित,
प्रकाश इन्टरप्राईजेज,
गया।

विषय :- पटना जिला स्थित जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय हेतु 10 KVA का ध्वनि रहित जेनरेटर अधिष्ठापित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि पटना समाहरणालय स्थित जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय हेतु भाड़े पर 10 KVA का ध्वनि रहित जेनरेटर जिला निबंधन कार्यालय, पटना में आपकी स्वीकृत निविदा के अनुरूप मो.- 18999.00 (अठारह हजार नौ सौ निन्यान्वे) रू. (ऑपरेटर, ईंधन एवं सभी कर सहित) प्रति माह की दर से दिनांक 01.11.2016 से निदेशानुसार परिचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका अनुपालन आप अचूक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

उक्त कार्यादेश हेतु शर्तें निम्नवत् हैं :-

- 1 भाड़े पर 10 K.V.A का ध्वनि रहित (Silent) जेनरेटर 01 नवम्बर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक के लिए लिया जायेगा।
- 2 आपूरित जेनरेटर के भाड़े का भुगतान जिला नजारत शाखा, पटना द्वारा परिचालन के दिनों की संख्या के अनुरूप लौग बुक के जाँचोपरान्त नियमानुसार करों की कटौती करवाए हुए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध आवंटन से की जाएगी।
- 3 जेनेरेटर के ऑपरेटर का भुगतान एवं उसके मरम्मती तथा रख-रखाव पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जाएगा।
- 4 जेनेरेटर में किसी प्रकार की खराबी आने पर सम्बन्धित फर्म को दूसरे जेनेरेटर की व्यवस्था हर-हाल में दूसरे कार्य दिवस को करनी होगी।
- 5 सेवा संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा ईंधन की कमी के कारण जेनेरेटर बन्द होने पर उस तिथि के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
- 6 फर्म द्वारा जेनेरेटर के साथ सम्बद्ध औपरेटरों का नाम एवं पता मोबाईल संख्या सहित तथा जेनेरेटर के संबंध में जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र जिला नजारत शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पटना समाहरणालय, पटना।
जिला नजारत शाखा

फोन नं. 0612-2219545(का.)
फैक्स नं.-0612-2218900
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

- 7 फर्म मालिक को विपत्र प्रत्येक माह ससमय 7वीं तारीख के पूर्व जिला नजारत शाखा, पटना में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं अन्य कारणों से कभी-भी एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

टी/-

नजारत उप समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक-~~xxxxy/~~-03/14.1398/नजा., पटना, दिनांक.29.8.16

- प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- स्थाना उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं जिला वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/16

नजारत उप समाहर्ता,
पटना।